फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

कैलाश वगैरा बनाम विमला [illegible]

केस संख्या : 32/24

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/10/2024	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा। अप्रार्थी आ.ता. पेशी पर बहस करे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/11/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	4/11/2024	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/11/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	14/11/2024	... पेश हुई। ... डिस्ट्रिक्ट ... बार ... स्थगित ... जाने ... दिनांक 19/11/2024 को पेश हो।
	19/11/24	पत्रा... हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश .... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 22/11/24 को पेश हो।
	22/11/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या ... को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रपत्र से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.06.06 12:42:21
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 32/2024

कैलाश पुत्र लल्लूराम उर्फ लाल जाति खाती निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर

बनाम

1. विमल कुमार पुत्र लल्लूराम उर्फ लाला
2. बनवारी पुत्र लल्लूराम उर्फ लाला
3. आत्माराम पुत्र लल्लूराम उर्फ लाला
4. अशोक कुमार पुत्र लल्लूराम उर्फ लाला
5. रामचन्द्र पुत्र लल्लूराम उर्फ लाला
6. बाबूलाल पुत्र लल्लूराम उर्फ लाला
7. शान्ति देवी पत्नी लल्लूराम उर्फ लाला
8. हंसा देवी पुत्री लल्लूराम उर्फ लाला

   समस्त जाति खाती निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
9. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर

<u>अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र</u>

निर्णय दिनांक 22.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे, सुदृढ व ठोस आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफलता की [illegible] है । राजस्व ग्राम राजावास, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू–अभिलेख [illegible] तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नंबर 316/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिनके हाल खसरा नंबर 722 रकबा 0.40 हैक्टेयर स्थित है। ग्राम राजावास में स्थित गत खसरा नंबर 316/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी स्थित थी जिसमें से प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी को उक्त आराजी भाग में से एक भूखण्ड/भाग दिनांक 11.05.1993 को विक्रय कर दिया था जिसकी नाप उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर से 35 फीट पश्चिम की ओर से 28 फीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

पूर्व पश्चिम 276 फीट है जिसका कुल क्षेत्रफल 966 वर्गगज है अर्थात 0.08 हैक्टेयर है। जिसकी सीमाओं में उत्तर में खातियों का खेत, दक्षिण शेष भूमि पूर्व में शिव प्रताप का खेत तथा पश्चिम में सडक स्थित है प्रार्थी उसी समय उक्त खरीदशुदा आराजी पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर काबिज हो गया था तथा उसी समय से उक्त आराजी का उपयोग उपभोग प्रार्थी ही करता आ रहा है, तथा विक्रय पत्र के अनुसार ही प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 129 दिनांक 29.06.1994 को 0.08 हैक्टेयर भूमि का स्वीकृत होकर दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया था तथा जिसकी जमाबंदी संवत 2066 से 2069 लाला वल्द डूंगा हिस्सा 49/57, कैलाश पुत्र लाला हिस्सा 8/57 दर्ज रिकॉर्ड रही है। किंतु प्रार्थी का नामान्तकरण दिनांक 29.6.1994 को तस्दीक किया गया उस समय नामान्तकरण के क्षेत्रफल के कॉलम नंबर 4 में उक्त आराजी का रकबा 0.47 हैक्टेयर दर्ज किया गया, तथा खसरा नंबर 722 दर्ज है जबकि साबिक खसरा नंबर 316/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के अनुसार उक्त आराजी का रकबा 0.57 हैक्टेयर होना चाहिए था था इसी प्रकार से उक्त आराजी की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में उक्त आराजी का खसरा नंबर 722 रकबा 0.40 हैक्टेयर दर्ज किया गया है जो कि साबिक खसरा नंबर 316/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा में से कम बिना किसी सक्षम न्यांयालय के आदेश के राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिली भगत करते हुए कम कर दिया गया, राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि का रकबा कम करके अथवा ज्यादा करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। ग्राम राजावास में स्थित खसरा नंबर 722 रकबा 0.40 हैक्टेयर जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अनुसार प्रार्थी का हिस्सा 49/513 व 8/57 दर्ज रिकॉर्ड है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 392/513 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त हिस्सेनुसार प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का रकबा 0.08 हैक्टेयर में से कम करते हुये 0.0561 हैक्टेयर कर दिया गया। जबकि ऐसा करने का राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम आदेश के कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है तथा अपने विक्रय पत्र अनुसार दुरूस्त करवाकर रकबा दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। वाके ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 2070–2073 के अनुसार प्रार्थी के पिता लाला पुत्र डूंगा के हिस्से की भूमि में 49/513 हिस्से का खातेदार काश्तकार के रूप में हिस्सा दर्ज किया है जबकि प्रार्थी का हिस्सा उक्त आराजी के रकबा 0.57 हैक्टेयर के [illegible] 49/57 हैक्टेयर में से प्रार्थी के पिता लाला पुत्र डूंगा की मृत्यु के उपरांत छोडे [illegible] के अनुसार 9वां हिस्सा प्रार्थी को मिलना चाहिए था जो कि प्रार्थी को नहीं दिया [illegible] है जिसे भी प्रार्थी अपने हक हिस्से की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने तथा उसी अनुसार विभाजन करवाने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी अधिकारी है कि वह अपने हक व हिस्से में आई भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर अलग से खाता व लगान अलग कायम करवायें।

सहायक कलक्टर
आमेर द्वि. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 7, 8 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 09.10.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 11 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रार्थना के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में अपने हिस्से का विक्रय पत्र पिता से करवा लिया था तथा अपने पिता की संपत्ति में विरासत के आधार पर कोई हक व हिस्सा नहीं होने एवं भविष्य में हिस्सा प्राप्त नहीं करने बाबत् प्रार्थी ने दिनांक 12.05.1993 को एक इकरारनामा निष्पादित किया था। जिसमें प्रार्थी कैलाश स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पिता की मृत्यु के पश्चात जो विरासत का नामान्तकरण खोला जायेगा उसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा तथा 06 भाईयों का ही उक्त भूमि में लेना देना होगा तथा विक्रय पत्र व इकरारनामें से पूर्व पंच पटेला के द्वारा भी दिनांक 20.01.1993 को लिखावट लिखी गई थी। जिसमें भी प्रार्थी द्वारा इकरारनामें में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया है। उसके उपरांत भी प्रार्थी ने जानबूझकर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बदनियति पूर्वक पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण में प्रार्थी द्वारा अपना नाम दर्ज करवा लिया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कही भी यह अंकित नहीं किया गया कि उक्त भूमि का राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो रकबा कम किया गया है वह किस खातेदार की भूमि में दर्ज किया गया है। प्रार्थी का वाद अपूर्ण एंव अस्पष्ट होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थी के पिता ने विवादित आराजी ग्राम राजावास स्थित खसरा नम्बर 316/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 722 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से प्रार्थी को उक्त आराजी में से कुल क्षेत्रफल 966 वर्गगज अर्थात 0.08 हैक्टेयर दिनांक 11.05.1993 को बेचान कर दिया है जिसकी प्रति प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत की गई है नामान्तकरण तस्दीक दिनांक 29.06.1994 को किया गया है उक्त के संबंध में प्रार्थी की जमाबंदी पेश की गई है। उक्त नामान्तकरण में प्रार्थी द्वारा 0.57 हैक्टेयर के स्थान पर 0.47 हैक्टेयर अंकित होना जाहिर किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का हिस्सा कम दर्ज किया गया है। उक्त के संबंध में वादी/प्रार्थी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया है। यदि उक्त नामान्तकरण में विक्रय पत्र के अनुसार सही प्रविष्ठी नहीं होती है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर न्र. जयपुर

प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के संबंध मे फोटाग्राफ्स भी पेश किये है जिससे कब्जे की अवधारणा प्रार्थी के पक्ष में है जिससे प्रथम दृष्टया केस/मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया साबित है।

अप्रार्थीगण ने अभिवचन किया है कि विक्रय पत्र एवं इकरारनामें से पूर्व पंच पटेलान द्वारा दिनांक 20.01.1993 को लिखावट लिखी गई है जिसमे वादी ने विरासत के आधार पर हिस्सा नही होने हेतु लिखा गया है। परन्तु अप्रार्थीगण ने इसके संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये।

प्रार्थी इसके अतिरिक्त विवादित भूमि का विक्रय पत्र के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण पारिवारिक सम्पति को लेकर हक सम्बन्धी सद्भाविक विवाद प्रतीत होता है एवं इस प्रकार के हक सम्बन्धी विवाद की विषयवस्तु के परीक्षण – संरक्षण के लिए तथा उसे खुर्द बुर्द होने से रोकने के लिए वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए वाद के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते है। इस संबंध में RRT 2004 P.497 पर प्रकाशित फैसला महत्वपूर्ण है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को विवादित आराजीयात् की सुरक्षार्थ जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि आराजी ग्राम राजावास स्थित खसरा नम्बर 316/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 722 रकबा 0.40 हैक्टेयर मे ता–फैसल वाद किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें तथा विशिष्ठ भू–भाग का बेचान न करे व मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

सहायक कलक्टर
आमेर म0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested